प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रांकः 498 /अ–2–1/2151–0201/14 दिनांकः 25/4/14

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली–1978 के प्राविधानानुसार इस ज्ञाप के परिशिष्ट सं0–1 में अभिलिखित अभ्यर्थियों की इस ज्ञाप में लिखित शर्तों के अधीन वेतनमान रू0 15600 – 39100 + ग्रेड पे 5400 + अन्य भत्ते में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्ति की जाती है। इन्हें समय–समय पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। प्रश्नगत नियुक्ति नॉन पेंशनेबल होगी।

नियुक्ति हेतु शर्तें–

1. इन अभ्यर्थियों को परिशिष्ट सं0–01 में अंकित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्यालय में दिनांक 15.05.2014 तक कार्यभार ग्रहण की सूचना देनी होगी अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा अलग से पारित किये जायेंगें।

2. प्रत्येक अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय उनके द्वारा निम्न औपचारिकतायें पूर्ण करनी होंगी। यदि इनमें से कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं होंगी तो यह नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जायेगा।

2.1 अभ्यर्थी को रू0 100000.00 (एक लाख) का बॉन्ड संलग्न निर्धारित प्रारूप–1 के अनुसार देना होगा। बॉन्ड भरने के लिए निर्देश उक्त प्रारूप के साथ उपलब्ध हैं।

2.2 अभ्यर्थी को संस्था जहाँ पर उसने अन्तिम शिक्षा प्राप्त की है, के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसे बाद में लौटा दिया जायेगा। अभ्यर्थी को इस प्रमाण पत्र की सत्य–प्रमाणित दो प्रतियाँ भी उपलब्ध करानी होंगी।

2.3 उक्त चरित्र प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थी को दो प्रादेशिक अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारियों से भी संलग्न प्रारूप–2 के अनुसार चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो अभ्यर्थी को भली–भांति जानते हों परन्तु रिश्तेदार न हों, चरित्र सम्बन्धित पूर्ववृत्त सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्रारूप–2–अ पर प्रस्तुत करनी होगी।

2.4 अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करने होंगे जो बाद में लौटा दिये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा इन प्रमाण पत्रों की दो–दो प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत करनी होंगी–

अ– हाई स्कूल प्रमाण पत्र

ब– अन्य शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका

स– इंजीनियरिंग परीक्षा की उपाधि

द– इंजीनियरिंग परीक्षा की अंकतालिका

य– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को संलग्न प्रपत्र (प्रारूप–5) पर आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी–

जिस अभ्यर्थी को सम्बन्धित संस्था द्वारा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र अथवा उपाधि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गयी है, वे इस आशय का वचन पत्र देंगे कि उपाधि प्राप्त होते ही इसकी 02 नग प्रमाणित प्रति सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध करानी होगी।

2.5 अभ्यर्थी को अपने वैवाहिक स्थिति के बारें में निर्धारित प्रारूप–3 पर प्रमाण पत्र देना होगा।

2.6 अभ्यर्थी को सत्यनिष्ठा से सम्बन्धित शपथ निर्धारित प्रारूप–4 में लिखित रूप में लेनी होंगी।

2.7 अभ्यर्थी को अपनी चलएवं अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देना होगा।

2.8 यदि अभ्यर्थी किसी अन्य विभाग में कार्यरत है तो उन्हें उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।